International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 28-04-2020; Accepted: 15-05-2020; Published: 30-05-2020
www.socialsciencejournal.in
Volume 6; Issue 3; 2020; Page No. 61-63

महिलाओं की बदलती रोजगार प्रणाली में श्रम विभाजन

सोनी कुमारी [1], वीणा कुमारी [2]

[1] शोध छात्रा, गृह विज्ञान विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छ्परा, बिहार, भारत

[2] आसिस्टेन्ट प्रोफेसर, गृह विज्ञान विभाग, लोक महाविद्यालय हाफिजपुर, बनियापुर जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छ्परा, बिहार, भारत

सारांश
आज के मशीनी युग में महिलाओं के कार्य पैटर्न में आ रहे बदलाव के कारण पहले से चली आ रही श्रम विभाजन की प्रणाली में भी बदलाव आता जा रहा है। यह बदलाव ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को किस तरह प्रभावित करता है, कौन सी समस्या खड़ा करता है और बाजारवादी अर्थव्यवस्था में किस तरह महिलाओं को उद्यमी वनने से रोकता है आदि को विश्लेषित करते हुए यह लेख खास कर भारत के संदर्भ में बिहार की स्थिति का विवरण भी देता है और महिलाओं को बदलते रोजगार पैटर्न के अनुकुल ढालने के लिए सुझाव भी रखता है। इसी संदर्भ को प्रस्तुत करते हुए यह लेख बिहार की चर्चा भी करता है।

मुख्य शब्दः रोजगार, पैटर्न, प्रतिस्पर्द्धात्मक, सांमती/अर्धसामंती, परम्परागत श्रम विभाजन, वाजारवाद

प्रस्तावनाः समस्या का स्वरूप

मानव समाज के अन्दर महिलाओं का महत्व न सिर्फ इस कारण है कि वे आवादी के करीब आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि इस कारण भी है कि वे मानव बाहरी संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनके सशक्तिकरण सामाजिक आर्थिक विकास की गति को काफी तेज कर देगा अगर इन्हें अवसर प्रदान किया जाए, इनकी क्षमता को बढ़ाया जाय और इन्हें अपने इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति के अवसर और उसमें सहयोग दिया जाए। इस तरह के अवसरों को प्रदान करने के बाद देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय निर्माण, राष्ट्र की आमदनी को बढ़ाने और नए समाज के निर्माण में उनका योगदान काफी बड़ा और महत्वपूर्ण हो गया रहेगा।

ग्रामीण हल्कों की महिलाओं का विकास कार्यक्रमों में योगदान ज्यादा रहता है। क्योंकि उन्हें तीन तरह के कार्यों का सम्पादन करना पड़ता है। इस कर्त्तव्य निर्वाह में महिलाओं की भूमिका पुरुषों की तुलना में बड़ी बनाती है। कृषि आधारित उत्पादन प्रक्रिया में परिवार ही उत्पादन की इकाई होता है। काम का क्षेत्र परिवार से बंधा होता है जिसमें औरतें, मर्द, बच्चे आदि मिल कर काम करते हैं। समाज जैसे ही परम्परागत कृषि उत्पादन और परिवार आधारित गृह उद्योगों के स्टेज से संगठित उद्योग और सेवा क्षेत्र ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की तरफ उन्मुख होता है, परम्परागत श्रम विभाजन की प्रक्रिया में बदलाव लाकर यह काम करना बंद कर देता है और सहयोगात्मक परिवारिक सम्बन्ध की जगह एक प्रतिस्पर्द्धात्मक प्रथा ले लेती है जिसमें खास श्रम इकाईयों की प्रतिस्पर्द्धा दूसरी श्रम इकाइयों से शुरू हो जाता है। रोजगार में कमी पतिस्पर्द्धा को और ज्यादा तेज बना देती है उत्पादन प्रक्रिया में तकनीकी बदलाव दक्षता और कौशल की मांग करती है और परम्परागत श्रम विभाजन में काफी भिन्न रूप में आ जाती है। इस तरह, इन नए तकनीक से वंचित महिलाएं अपने श्रम को, जो परम्परागत तकनीक वाला है, व्यर्थ होते देखती है।

परम्परागत भरतीय समुदाय का निर्माण हुआ थाए कृषि कार्य में लगी आवादी, दस्तकार और वे लोग जो नीचे स्तर (मेंनियाली) सेवाओं में लगे थे। इन सवों में महिलाएँ महत्वपूर्ण और स्वीकृत भूमिका के द्वारा परिवार के जीवन निर्वाह के लिए अर्जन कर लेती थी। भारत में और खास कर बिहार के परम्परागत ढंग से चल रहे गावों में अभी भी पुरानी प्रथा जारी है और परिवार के जीवन निर्वाह के लिए कृषि आधारित परिवारों में, जीवन निर्वाह के लिए कमाना परिवारिक प्रयास के रूप में वर्तमान है– औरत और मर्द के बीच किसी तरह का श्रम विभाजन नहीं है। महिलाओं की हिस्सेदारी एक क्षेत्र में दुसरे क्षेत्र से भिन्नता वहां की परम्परा संस्कृति आदि पर निर्भर करती है। बिहार में भी महिलाओं का रोजगार का तरीका ;ब्बबनचंजपवदंस चंजजमतदद्ध भी अन्य राज्यों की तुलना में कई अर्थों में भिन्नता रखता है।

ग्रामीण महिलाओं के रोजगार का पेटर्न

कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्राों में कृषि कार्य में लगी महिलाओं की भूमिका को चार श्रेणियों में विभाजित कर देखा जा सकता है–

1) बड़े जोतदारों के घर की महिलाएं जो मजदूरों को रखकर काम कराती है उनकी भूमिका कामों के निरीक्षक और संचालक की होती है य
2) छोटे जोतदार परिवारों की महिलाए, जो व्यक्तिगत रूप से खेतों को जोतती–बोती है और मजदूर रखकर या न रखकर स्वयं काम करती है य
3) ऐसी महिलाएँ जो बटाइदार है या दस्तकार है या घरेलू दस्तकारी में लगी है और
4) खेत मजदूर औरतें जो जीवन यापन के लिए मजदूरी करने के सिवा अन्य संसाधनो से विहीन है।

इनमें पहली श्रेणी की औरते अपने गृह कार्य के अलावा बाहर काम के लिए नहीं जाती। चौथी श्रेणी की औरते अपने घरेलू कार्यों के बोझ के अलावा भी हमेशा काम के लिए बाहर जाने वाला समूह हैं। भारत में इतने वर्षों के योजना वद्ध विकास के वावजूद भी मात्र 12 से 15 प्रतिशत महिलाएँ ही संगठित क्षेत्र में कार्यरत थी इस कारण उनके रोजगार पाने का मात्र एक क्षेत्र कृषि है। ग्रामीण महिला खेतीहर और खेत मजदूर भारत में क्रमशः 37 प्रतिशत और 50 प्रतिशत महिला कार्य बल में हैं।[1]

अगर बिहार की स्थिति का मूल्यांकन किया जाए तब मुख्य मजदूर सीमान्त मजदूर, मजदूर नहीं की श्रेणी में महिलाओं की संख्या और प्रतिशत नीचे की तालिका के अनुसार है

तालिका न. 1: बिहार में महिला कामगार [मुख्य, सीमान्त और मजदूर नहीं (Non workers)]

ग्रामीण महिला मजदूर	संख्या	प्रतिशत
(Main workers) मुख्य मजदूर	4,088921	8.212
(Marginal workers) सीमान्त मजदूर	5413877	10.87
(Non-workers) मजदूर नहीं	40318497	80.93

(श्रोतः 2011 जनगणना)

ऊपर की तालिका दिखाती है कि ज्यादा महिलाओं को रोजगार नहीं मिल पाता और वे अपने घरेलू कामों में लगी रहती हैं जिसको कभी भी मूल्य नहीं मापा जाता और किसी भी दस्तावेज में इन कामों की स्वीकृति नहीं दी जाती।

अगर बिहार में महिलाओं की संख्या और प्रतिशत को चार श्रेणी में महिला मजदूरों को विभाजित कर देखा जाए :– कृषक, खेत मजदूर, घरेलू उद्योगों में लगी महिला मजदूर और अन्य मजदूर तब जो चित्र उभड़ता है वह नीचे की तालिका दर्शाती है–

तालिका न. 2: विभिन्न श्रेणिओं में बिहार की महिला मजदूर ;बिहारद्ध

श्रेणी	संख्या	प्रतिशत
जोतदार महिलाएँ	1,450,806	15.27
महिला खेत मजदूर	5,774,932	60.77
घरेलू उद्योगों में लगी महिला	649,090	6.83
अन्यान्य	1,627,970	17.13

(श्रोतः 2011 की जनगणना)

ऊपर की तालिका 2011 के जनगणना की तस्वीर पेश करती है। बिहार की सम्पूर्ण महिला आवादी का करीब 61: (60.77प्रतिशत) महिलाएँ खेत मजदूर हैं। ये अदक्ष श्रम है और इन्हें कृषि में मजदूर के रूप में काम कर अपनी जीविकोपार्जन के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है। गृह उद्योगों में काम करने वाली महिला मजदूरों का प्रतिशत करीब 7 प्रतिशत है (6.83 प्रतिशत) अन्य कामों में लगी महिलाओं जैसे घरेलू नौकरए छोटे धंधों जैसे शब्जी बेचना आदि में 17.13 प्रतिशत महिलाएं लगी है।

बाजारवादी अर्थव्यवस्था ने इन सबों के सामने रोजगार का संकट खड़ा कर दिया है। जमीन धीरे–धीरे कारपोरेट पूंजी के पास चली जा रही है और उसका उपयोग इस तरह से किया जा रहा है कि उसका व्यवसायिक उपयोग हो कृषि नहीं हो। अगर कृषि में इन्हें लगाया भी जाता है तब उसमें दक्ष श्रम की जरूरत है ग्रामीण अदक्ष महिला श्रम की नहीं।

आर्थिक विकास में महिलाओं के योगदान को उनके काम मे लगे और हिस्सेदारी की दर से की जाती है। पार्टीसिपेशन रेट को समान्यतया कुल आवादी के अनुपात कें मजदूरों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। 1911 के जनगणना में महिला वर्क पार्टीसिपेशन रेट 33.7 प्रतिशत था जो गिर कर 1961 के सेन्सस में 28 प्रतिशत पर आ गया। उसके बाद 1961 से 1971 के बीच इसमें तेजी से गिरावट आई। 1971 से 1981 के बीच इसमें कुछ सुधार हुआ। आधुनिकीकरण के साथ महिला मजदूरों का वर्क पार्टी. सिपेसन रेट में बढ़ोतरी योजनाओं को चलाने के परिणाम स्वरूप बढ़ी। फिर भी बिहार जैसे राज्यों में इस बढ़ोतरी का असर इसकी कमजोर अर्थ व्यवस्था के कारण काफी धीमी दिखी। [2] अखिल भारतीय पैमाने का आँकड़ा दिखाता है कि भारत में औसत रूप से 33 प्रतिशत महिलाएँ जोतदार हैं जबकि बिहार में इनका प्रतिशत मात्रा 15.27 प्रतिशत ही हैं। अखिल भारतीय स्तर पर खेत मजदूरों का औसत प्रतिशत 40 प्रतिशत से ज्यादा है मगर बिहार में यह 60 प्रतिशत से ज्यादा, 60.77 प्रतिशत है। गृह उद्योगों में अखिल भारतीय पैमाने पर मात्र 5 प्रतिशत महिलाएँ ही लगी है मगर बिहार में इनका प्रतिशत 6.83 प्रतिशत है। इसका मतलव है कि अखिल भारतीय औसत से ज्यादा प्रतिशत में महिलाएँ बिहार में प्राईमरी क्षेत्रों में लगी है। खास कर कृषि कार्य और खेत मजदूर के रूप में। इसतरह देखा जाय तव अनुमान लगता है कि औसत 80 प्रतिशत महिला कामगार कृषि कार्य में लगी हैं। इसमें उनके उन कामों को सुमार नहीं किया गया है, जिसे वे परिवार के लिए करती हैं जैसे जलावन जमा करना, पशुओं का चारा जमा करना, डेयरी पाल्ट्री का काम, शब्जी उपजाने का काम जिसे परिवार के लिए खर्च किया जाता है या बेंच कर अतिरिक्त आय प्राप्त किया जाता है। खाना बनाने से बच्चें और बूढ़ों की देख भाल तक का काम आदि।

ग्रामीण महिलाओं के कामों में आ रहा बदलाव

ग्रामीण महिलाओं के कामों में आ रहा बदलाव को गति प्रदान करने में सामाजवादी मुल्कों की वह सैद्धान्तिक प्रतिवद्धता और राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की बड़ी भूमिका रही है जो महिलाओं को आज करने के प्रति (स्पइमतंजम) रही थी। इन देशों ने महिलाओं की भूमिका को सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया में एक अहम कारक के रूप में स्वीकार किया। कृषि के सामूहिकरण ;ब्वससमबजपअप्रंजपवदद्धजमीन का प्रवन्धन जब सामूहिक कर दिया गया तब इसने महिला श्रम पर पितृसत्तात्मक नियंत्रण को काफी ढीला कर दिया। वर्त्तमान समय के बहुत सारे गृह कार्यों जैसे बच्चों की देखभाल घरेलू अत्तरदायित्व आदि समूह द्वारा ले लिए गए। इस तरह के कार्यों से महिलाओं को स्वतंत्र कर देने का अनिवार्य परिणाम हुआ कि आमदनी वाले श्रोत के लिए घर से बाहर जाकर काम करने के अवसर महिलाओं को प्राप्त हो गए।

आज ग्रामीण सुधार कार्यक्रम को जो गति प्रदान की गई है उसका विश्लेषण इसी तरह की प्रक्रिया के आधार पर की जा सकती है। बढ़ते हुए वाणिज्यिकरण जो भारत या अन्य विकासशील देशों में आज मौजूद हैए उसने महिलाओं के रोजगार के ढ़ाँचे को बदल दे रहा है। इसके परिणामों के सर्वेक्षण का मूल नतीजा निकलता है कि मुख्यतः महिलाओं के लिए तीन तरह के काम गाँवों में दृष्टिगत होते हैं। करीब 70 प्रतिशत घरों की महिलाएं आज भी कृषि कार्य में लगी हैं–खास कर शब्जी और फलों के उत्पादन में। गृह कार्य को अलग से नहीं देखा जाता। मात्र बुजुर्ग औरते जो कुल का 10 प्रतिशत होती है वे ही सम्पूर्णता में गृह कार्यों में लगती है। इनमें ऐसी बुजुर्ग महिलाएँ हैं जो कृषि कार्य करने में अक्षम है, वे कृषि कार्य को अपने बच्चों को सौंप देती है और अपने पोते–पोतियों की देखभाल में लगी रहती है तथा परिवार के साथ कुछ अन्य कार्यों को जिसे वे कर सकती हैं करती हैं। इस तरह का श्रम विभाजन गाँवों में प्रचलित है। दुसरी श्रेणी उन औरतों की है जो गाँवों में ही रहती हैं, मगर कृषि कार्य में नही लगती, वल्कि बच्चों के लालन–पालन में लगी रहती हैं। तीसरी श्रेणी उन औरतों की है जो अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहती है। वे अपने को छोटे उत्पादन कर्ता (Entrepreneurs) के रूप में रखकर फल–फुल बेचने, शब्जी बेचने, मछली बेचने आदि के कामों में लगाती हैं और परिवार को आर्थिक सहयोग देती है।

कई अध्ययनों में पाया गया है कि गाँवों के अन्दर महिलाओं के काम का स्वभाव कई बातों पर निर्भर करता है। देखा जाता है कि औसत जमीन रखने वाले परिवार अगर वाणिज्यिक कृषि में लगे है तब वे अपनी जोतों के अलावा अतिरिक्त जमीनों को ठीका (स्मेंम) पर लेकर अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं ताकि उन्हें खेती में निवेश के लिए अतिरिक्त पूंजी प्राप्त हो सके। ऐसे

परिवार बहुत कम हैं और वे मुद्रा प्रदान करने वाली फसलों की खेती करते हैं। यहाँ दो वैरियवुल्स, ग्रामीण परिवार और महिलाओं के श्रम का उत्पादन के विभिन्न रूपों में भागीदारी को अलग कर देखा जा सकता है। इस तरह के परिवार गाँवों की शब्दावली में कठोर परिश्रमी वर्ग कहा जाता है जो अपनी पर्याप्त संसाधन राजनीतिक सम्बन्धों को भी ठीक रखती है। ये धना परिवार है जिनमें निर्णय का अधिकार मर्दो के पास रहता है और महिलाये मात्र कृषि कार्य में मददगार की भूमिका में रहती है।

महिला उद्यमी (Entrepreneurs) आज के ग्रामीण हल्कों में भी वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था के काल में एक प्रमुख कारक के रूप में उमड़ रही है और वे अमदनी पैदा करने वाली बन रही है। आज मर्द कमाने वाले और महिलाएँ जीवन यापन की कृषि में लगने की परम्परा कमजोर होती जा रही है। मगर उद्यमी के रूप में अपने को स्थापित करने की क्रिया में महिलाओं की अनेकों कठिनाइयाँ है। जिनमें संस्थागत काम का अभाव ऐसा है जो इन्हें मर्दो के समान बाजारवादी प्रतिस्पर्द्धा में कम्पीट करने के मार्ग में रूकावट बनता है।

नीतिगत प्रभाव और निष्कर्ष

आज महिलाओं के रोजगार में जो बदलाव आ रहे हैं उनका प्रभाव नीतिगत रूप से काफी दूर तक प्रभावित कर रहे हैं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बदलाव की जरूरत को लाते जा रहे हैं ताकि आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को ज्यादा प्रगतिशील रूप से सुनिश्चित करने की जरूरत को पुरा कर सकें।

नीतियों को लागू करने को रोजगार और श्रम के संदर्भ में व्याख्यायित किया जा सकता है। ऐसी हालात में एकीकृत कानूनी और विकास के प्रयास को भारतीय समाज में मौजूद असंतुलन को ठीक करने के प्रयास को कई सामाजिक क्षेत्रों में कई तरह के अवसरों को प्रदान करते हैं। समानता के अध्किार कोए जो भारतीय संविधनख्, महिलाओं के प्रदान करते हैं वह महिलाओं के बड़े भाग को उपलब्ध नहीं हो सका है। इसके लिए समान काम के लिए समान मजदूरी सम्बन्धी कानून को और ज्यादा मस्तैदी से लागू करने की जरूरत है और इसे और ज्यादा मजबूत बनाने की आवश्यकता भी है। जहाँ पर महिलाओं की संख्या रोजगार में कम है, उन क्षेत्रों को चिन्हित करना चाहिए, महिला उद्यमियों (Entrepreneurs) को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद करने के लिए खास संस्था का निर्माण करके उन्हें कर्ज आदि का प्रबंध करना चाहिएए सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों और सरकारी नौकरियों में बहाली नीति में बदलाव लाकर महिला प्रत्याशियों को विशेष रूप से अवसर–प्रदान करना चाहिए। काम के लिए बहाली में उम्र की शर्तो को ढीला करना। (हम Relaxation) और महिलाओं के लिए पार्ट टाइम काम के अवसरों को बढ़ाना चाहिए। बहुत से क्षेत्रों में जहाँ महिला–पुरुष वेतन में कई तरह की असमताएं हैं, उन्हें समुचित कानूनों के कार्यान्वयन के द्वारा मिटना जरूरी है। सामाजिक कल्याण के मतहत महिलाओं के सामाजिक कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने उनके कौशल को बढ़ाना और आमदनी रोजगार (Gainful employment) का सृजन करना। केन्द्र और राज्य सरकारों के महिला विकास कार्यक्रमों और शिक्षा के बीच एक समन्वय अवश्य होना चाहिए।

आर्थिक विकास की बदलती भूमिकाए महिलाओं के रोजगार और काम के बदलाव आदि कई नयी समस्याओं को ला रहे हैं। इस कारण प्रत्येक नई नीति और नए कानून का लक्ष्य होना चाहिए बदलती मांग के साथ महिलाओं के कौशल का संमजरथ्य स्थापित करना।

बिहार जैसे पिछड़ी कृषि वाली अर्थव्यवस्था में महिला कामगारों की समस्याएँ उनके बदले रोजगार के पैटर्न के कारण ज्यादा घनीभूत हो गए हैं। कृषि में प्रगतिशील कृषि सुधारों के न लागू किए जाने के कारण ग्रामीण इलाकों में अर्ध सामंती शोषण पितृसन्तात्मक परिवार का वर्चस्व के परिणाम स्वरूप उनकी कुरीतियाँ जैसे पर्दा प्रथा, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में बराबरी का अधिकार न होना, वेतन में विषमता, शिक्षा, खान–पान, स्वास्थ्य, पारिवारिक और सामाजिक मसलों पर उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता का न होना आदि के साथ–साथ अन्य कई अवरोध उनके कामों को वाधित करते हैं। समान्य और सीमान्त जोत रखने वाले परिवारों की या भूमिहीन परिवारों की महिलाओं की बाते अगर छोड़ भी दी जाए तब बड़े जमीन मालिकों के परिवारों की महिलाओं पर सामंती और अर्धसामंती दवाव अपेक्षाकृत ज्यादा है। इन परिवारों की महिलाओं का स्थान परिवार में उपयोग श्रम का उत्पादक श्रम का नहीं रहता– ये महिलाएँ ज्यादा से ज्यादा घर के अन्दर गृहणी का काम तो करती है मगर कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे परिवारीक आमदनी में इजाफा हो। आर्थिक दृष्टि से ये पुरुषों पर निर्भर है और इनकी यह निर्भरता उन्हें निर्णय लेने के अधिकार से वंचित करती है। इनकी तुलना में गरीब महिलाएँ अपेक्षाकृत ज्यादा स्वंतत्र है जो घर से बाहर जाकर काम करती है और पारिवारिक आमदनी को बढ़ाती है। फिर भी सामंती और अर्ध सामंती दुर्गुणों का शिकार ये भी होती है।

महिलाओं के कामों के अयाम को विस्तृत बनाने के लिए विहार में उपर वर्णित कदमों के अलावा प्रगतिशील भूमि सुधार को लागू करना, शिक्षा का विस्तार और महिलाओं के कौशल विकास के कार्यों को विशेष महत्व के साथ लेना होगा। बिहार में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में खास कर रूरल लिवलीहुड मीशन (जीविका), महात्मागाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (MNREGA) प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) आदि के अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कुछ पदों पर महिलाओं को आरक्षण देना अपदा–प्रबंधन वासगीत की जमीन के बंटवारे आदि का दावा सरकार करती है। विडम्बना यह है कि ये सारे कार्यक्रम महिलाओं की बुनियादी समस्याओं को नहीं छूते जैसे कृषि में सांमती और अर्ध सांमती प्रभाव को महिला मुक्ति के लिए समाप्त करना जरूरी है। इसके लिए विभिन्न तरह के भूमि सुधार कानूनों को जैसे हदबंदी से फाजिल और भूदान की जमीनों का बंटवारा, बटाईदारी कानून को लागू करना, किसानों को सस्ता कर्ज देकर ग्रामीण महाजनों के चंगुल से निकालना आदि बिना इस तरह के बुनियादी बदलावों को लाए महिलाओं के बदलते रोजगार के पैटर्न की जरूरतों को बिहार पुरा नहीं कर सकता।

संदर्भ सूची

1. रूपेष त्यागी और भावना, ''चेन्जिंग अकुपेशन पैटर्न ऑफ रूरल वीमेन'', (सम्पा) डॉ. मीनू अग्रवाल, डॉ. शोभना नेलास्फो, इम्पावरमेंट ऑफ रूरल वीमेन इन इन्डियाए कनिष्क पब्लिशर्स, डीस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली 2009, पृ.103
2. रिपोर्ट : नेशनल कमिटी आन स्टेटस औफ वीमेन।
3. भारत का संविधान प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत।